60 years with you
BHARAT BHUSHAN
SINCE 1954

BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LTD.

(Corporate Identity Number : L67120DL1992PLC049038)
Regd. Office : 503, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001
Tel.: 011-49800900 • Fax : 011-49800933
E-mail : commodities@bharatbhushan.com • Website : www.bbinvestments.in

REF: BBFCB/BSE/2021-22 **15TH JULY, 2021**

TO,

BSE LTD.
CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS,
DALAL STREET
MUMBAI-400001

SCRIP CODE: 511501

SUB: SUBMISSION OF COPIES OF NEWSPAPER PUBLICATION OF NOTICE TO SHAREHOLDERS FOR TRANSFER OF EQUITY SHARES TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND ("IEPF")

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed the copies of the newspaper publication of notice to shareholders published, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, in English and Hindi Newspaper i.e. **Financial Express** and **Jansatta** respectively on 15.07.2021.

The advertisement copies will also be made available on the company's website at http://www.bbinvestments.in/ .

This is for your information and records please.

Thanking you,
Yours Faithfully,

For Bharat Bhushan Finance and Commodity Brokers Ltd.

Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd. ★ New Delhi.

Pankaj Singh Bisht
Company Secretary

Encl. : ***As above***

THURSDAY, JULY 15, 2021
FINANCIAL EXPRESS

M/S BHARAT BHUSHAN FINANCE & COMMODITY BROKERS LIMITED
Regd. Office : 503, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001,
CIN- L67120DL1992PLC049038, Tel Nos.: 011-49800900, Fax: 011-49800933
E-mail: commodities@bharatbhushan.com, Website: www.bbinvestments.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For Transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund
(As per Section 124 (6) of the Companies Act, 2013)

This Notice is given pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs with effect from 07th September, 2016.

The Equity Shareholders of Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited ("the Company") are hereby informed that in accordance with the provisions of Section 124 (6) of the Act read with IEPF Rules, all shares in respect of which dividend has not paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the company to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") in the manner prescribed under the IEPF Rules.

Accordingly, individual communication is being sent to all the concerned shareholders, who have not claimed/ encashed dividend for the Financial Year 2013-14 and all subsequent dividends declared by the Company and whose share(s) are liable to be transferred to the DEMAT Account of the IEPF Authority, at the latest address available with the Company. The Company has also uploaded on its website at www.bbinvestments.in, details of such shareholders (including the names of such shareholder and their folio no. or DP ID- Client ID) and their shares which are due for transfer to the DEMAT Account of the IEPF Authority. The concerned shareholders are requested to refer the above website to verify the details of the shares liable to be transferred to the DEMAT account of IEPF Authority.

In the event the Company does not receive valid claim from the concerned shareholder(s) by October 15th, 2021, the Company will proceed to transfer the shares to the DEMAT account of IEPF Authority.

In case the shares which are required to be transferred to IEPF Authority are held in physical form, the Company would be issuing duplicate share certificate(s) for transferring to IEPF Authority and upon issue of such duplicate share certificates, the original share certificate(s) shall deemed to be cancelled and non-negotiable. In case the shares are held in demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their account(s), for transfer of shares to DEMAT account of IEPF Authority.

In case the concerned shareholder(s) wish to claim the unclaimed dividend and the shares transferred to Demat Account of the IEPF Authority including all the benefits accruing on such shares, if any, a separate application has to be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5 online, as prescribed under the IEPF Rules and same is available at IEPF Authority's website i.e. www.iepf.gov.in. and by sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) along with requisite documents enumerated in Form IEPF-5.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF Authority. However it can be claimed back from the IEPF Authority by making an application to IEPF Authority in the Form IEPF-5, as per the IEPF Rules. This form is available on website of IEPF Authority viz. www.iepf.gov.in.

For any information/clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the company at commodities@bharatbhushan.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent- M/s. Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055, Tel: 011-42541234, Email ID: rta@alankit.com.

For Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Limited
Sd/-
Nisha Ahuja
Director
DIN: 00001875

Date: July 15th, 2021
Place: New Delhi

मैसर्स भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 503, रोहित हाउस, 3, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001
(सीआईएन–L67120DL1992PLC049038), फोन नंबर : 011–49800900, फैक्स : 011–49800933
ई–मेल : commodities@bharatbhushan.com वेबसाइट : www.bbinvestments.in

शेयरधारकों को सूचना

इक्विटी शेयर्स का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण हेतु
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के साथ पठित दिनांक 07 सितम्बर, 2016 से लागू कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली") के अनुसरण में दी जा रही है।

भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के इक्विटी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 124(6) के साथ पठित आईईपीएफ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वे सभी शेयर, जिनके संबंध में सात लगातार वर्षों या अधिक हेतु लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसकी मांग नहीं की गई है, कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण") के डीमैट खाते में, आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित ढंग से, अंतरित किए जाने अपेक्षित हैं।

तदनुसार, उन समस्त संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध उनके नवीनतम पते पर भेजी जा रही है, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु लाभांश और कम्पनी द्वारा घोषित सभी अनुवर्ती लाभांश हेतु दावा नहीं किया गया है/नकदीकृत नहीं किए गए हैं तथा जिनके शेयर(शेयर्स) आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। कम्पनी ऐसे शेयरधारकों (शेयरधारकों के नाम उनका फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी सहित) तथा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी उनके शेयर्स का विस्तृत विवरण अपनी वेबसाइट www.bbinvestments.in पर भी अपलोड कर चुकी है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी शेयर्स के विस्तृत विवरण की जांच हेतु उपरोक्त वेबसाइट देखें।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारक(कों) से 15 अक्टूबर, 2021 तक वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयर अंतरण की कार्यवाही आगे बढ़ाएगी।

आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के भागी शेयर यदि भौतिक रूप में धारित हैं, तो कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने के लिए डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट(स) जारी करेगी तथा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स जारी करने के बाद, मूल शेयर सर्टिफिकेट्स निरस्त और अमान्य होंगे। डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिपॉजिटरी को, जहां शेयरधारक का खाता है, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी।

यदि संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित अदावित लाभांश और शेयर्स, ऐसे शेयर्स पर उद्भूत सभी लाभों सहित, यदि कोई, की मांग करने के इच्छुक हैं, तो आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित अनुसार प्रपत्र आईईपीएफ–5 ऑनलाइन में आईईपीएफ प्राधिकरण में एक अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा, उक्त प्रपत्र आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (कम्पनी के पास रेकार्ड में उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) प्रपत्र आईईपीएफ–5 में वर्णित वांछित दस्तावेजों के साथ भेजनी होगी।

शेयरधारक आगे नोट करें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया विस्तृत विवरण आईईपीएफ नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट(स) जारी करने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी और समझी जाएगी। कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित अदावित लाभांश राशि और इक्विटी शेयर्स के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि इसको आईईपीएफ नियमावली के अनुसार प्रपत्र आईईपीएफ–5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन देकर वापस प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रपत्र आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

इस विषय में किसी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कम्पनी को commodities@bharatbhushan.com पर लिखें अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट – मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, फोन : 011–42541234, ई–मेल आईडी : rta@alankit.com से सम्पर्क करें।

वास्ते भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड

हस्ता./–
निशा आहूजा
निदेशक
डीआईएन : 00001875

तिथि : 15 जुलाई, 2021
स्थान : नई दिल्ली

kauctions.com के माध्यम से होगी। बोली लगाने वालों
लिए वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है।
उससे पहले संपत्ति और संपत्ति के दस्तावेजों का निरीक्षण
को आरक्षित मूल्य से अधिक बोली लगाने के लिए
21 सांय 5.00 बजे तक या उससे पहले, "इंडिया रिसर्जेंस
बैंक लिमिटेड, के खाते में डीडी / आरटीजीएस के
60 मिनट के लिए प्रत्येक 5 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के
/ विवरण की प्रतिलिपि को 20.08.2021 को
एआरसी प्राईवेट लिमिटेड '' श्री शक्ति श्रीवास्तव
818164585 के माध्यम से, ''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी
पार्क, लोअर परेल, मुंबई-400013
बोलीदाता को बोली राशि के 25% की शेष राशि का भुगतान
नाम पंजीकृत करना होगा और अपनी यूजर आईडी और
का लाभ के लिए संपर्क करें सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर;
bankauctions.in संपर्क व्यक्ति : विकास कुमार:
कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
रू. 10,000/- के गुणकों में अपने प्रस्तावों की वृद्धि करेंगे।
) लगाने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया
"इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राईवेट लिमिटेड" के अधिकृत
) उसे सफल बोलीदाता घोषित करने पर तुरंत जमा करेगा,
द्वारा बोली की पुष्टि करने के 15 दिन के भीतर जमा करनी
उसके द्वारा जो भी जमा की राशि है वह प्राधिकृत अधिकारी द्वारा
जाएगा।
नगर निगम / सोसायटी या किसी भी अन्य प्राधिकारी और
कानून के तहत किसी भी अनुमति / एनओसी करने की पेशकश,
अन्य शुल्क, यदि कोई हो जिम्मेदारी नहीं लेता है।
के किसी भी नियम को संशोधित करने या बिक्री को रद्द करने
है।
में "इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'' को
को अपनी बोली जमा करने से पहले अपनी संतुष्टि के लिए
इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड'' उपरोक्त संपत्ति की
नहीं करता है।
shakti.srivastav@IndiaRF.com, 9811749628 पर
क्लोजर, हैदराबाद हेल्पलाइन नं.: 0814200062/65/66
विकास कुमार: 08142000809, 08076427383,
वनी :
गाने से बचना चाहिए। ''इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट
विक्रेता की ओर से किसी भी चूक / विफलता (इंटरनेट
ऐसी आकस्मिक स्थिति को दूर करने के लिए, बोलीदाताओं
जैसे बैक-अप, बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी
ह बकाया देय राशि का भुगतान उपरोक्त ब्याज और सहायक खर्चों
दी जाएगी और शेष बकाया राशि को, यदि कोई है, को ब्याज /
रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी